प्रेषक,

निदेशक युवा कल्याण एवं
प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलायुवा कल्याण एवं
प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 9208/तीन–18/प्रा0वि0द0/1991–92(स्टोर) दिनांक: मार्च 7, 1994

**विषय**:– जनपदों में विभागीय सम्पत्ति के सत्यापन एवं नीलामी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या–4453/तीन–18/प्राविद/1991 दिनांक, 26 अक्टूबर, 1991 का संदर्भ लें। उक्त पत्र द्वारा स्टोर सत्यापन संबंधी सूचनायें मांगी गयी थी, लेकिन सिर्फ 1–टिहरीगवाल, 2–फिरोजाबाद, 3–हमीरपुर, 4–वाराणसी एवं 5–उन्नाव जनपदों से ही वह सूचना प्राप्त हुई।

इससे स्पष्ट है कि जनपदों में स्टोर का रख–रखाव नियमानुसार व सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जो बहुत ही असन्तोषजनक है। स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष किया जाना आवश्यक है, जिससे यह पता चले कि कौन सी वस्तु प्रयोज्य है और कौन सी वस्तु निष्प्रयोज्य। प्रति वर्ष का सत्यापन न होने से स्टोर में उपलब्ध सामग्री का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। प्रत्येक वर्ष नियमानुसार स्टोर का भौतिक सत्यापन करने के शासन के स्पष्ट व कड़े निर्देश हैं, लेकिन आपके द्वारा इस विषय में रूचि नहीं ली जा रही है। जिस पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है।



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

स्टोर के भौतिक सत्यापन हेतु जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तरदायी होंगे। वे स्टोर इंचार्ज के साथ स्टोर का सत्यापन करेगें। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी अपनी सहायता के लिए किसी एक क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, को ले सकते हैं। सारे स्टोर का सत्यापन कर लें निष्प्रयोज्य सामान की सूची दो प्रतियों में तैयार की जाय उसी सूची की एक प्रति निदेशालय को भेंज कर निदेशक युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा से नीलामी की स्वीकृति प्राप्ति कर जनपद स्तर पर नीलामी की विधिवत कार्यवाही की जाय।

इस विषय पर निदेशालय की सूची निम्न प्रारूप पर भेंजी जाय। सूची पर सम्बन्धित जिला युवा कल्याण एवं प्राविद आधिकारी व क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्राविद अधिकारी व स्टोर कीपर के हस्ताक्षर होने चाहिए यह सूचना 30.4.94 तक अवश्य निदेशालय में पहुँच जाए।

| क्र०सं० | वस्तु का नाम | स्टाक बुक पृ०सं० | वस्तु सं० | वस्तु का क्रय मूल्य तथा दिनांक | उपभोग की अवधि | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|

भवदीय

के०एस०धपोला
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा

प्रतिलिप:— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

के०एस०धपोला

निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा

**शीर्ष प्राथमिकता**

प्रेषक,

निदेशक युवा कल्याण एवं
प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाअधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 4269/दो–21/प्रा0वि0द0/91 (2) दिनांक: 17 अगस्त, 1992

**विषय**:— शान्ति सुरक्षा व्यवस्था में प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर लगाये जाने के सम्बन्ध में।



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि आप द्वारा जनपदों की स्थिति के अनुसार प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, जबकि जनपद में इस हेतु यथेष्ठ धनराशि उपलब्ध नहीं रहती है। विगत कई वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि इस प्रक्रिया के कारण स्वयं सेवकों को देय भुगतान वर्षों लंबित पड़े रहते हैं, क्योंकि शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि के बाद अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जाती है।

2– अत: उपरोक्त पृष्ठभूमि में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपदों में समाज सेवा/सुरक्षा (आयोजनागत) एवं 02 मजदूरी (आयोजनेतर) मद के अन्तर्गत स्वीकृत/आवंटित धनराशि के अन्तर्गत ही अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया जाय, ताकि उनका भुगतान समय से सुनिश्चित किया जा सके। प्राय: यह देखा गया है कि अधिकांश जनपदों में प्रा0 वि0 द0 के स्वयं सेवकों की ड्यूटियां वर्ष भर निरन्तर चलती रहती हैं, जिसके कारण उन जनपदों में स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध बहुत अधिक धनराशि देय हो जाती है, अत: इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जनपद संवेदनशील है और उनमें अधिक ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है तो आवश्यकतानुसार धनराशि का प्राविधान जिला योजना के अन्तर्गत करा दिया जाय, ताकि उन जनपदों में आवश्यकतानुसार और समयानुसार ड्यूटी लगायी जा सके और उनका ड्यूटी भत्ता भी समय से भुगतान किया जा सके।

कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि यदि जिलाधिकारी यह महसूस करते हैं कि स्वीकृत बजट के उपभोगोपरान्त भी प्रा0 वि0 द0 के स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर लगाये जाने की आवश्यकता अपरिहार्य है तो वे अपने जनपद के मण्डलायुक्त से इस प्रकार का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर लगाये तथा निदेशालय को धनराशि का मांग–पत्र अपने हस्ताक्षरों से भेजे।

यह प्रमाणित किया जाय कि संबंधित स्वयं सेवकों को मण्डलायुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही ड्यूटी पर अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाया गया है।

संलग्नक:–निर्धारित रूप–पत्र

भवदीय

(वी0 एम0 मधवाल)
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– संयुक्त सचिव, युवा कल्याण अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेक्षित कि संबंधित जनपद की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ही जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रा0वि0द0 के स्वयं सेवकों

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

को ड्यूटी पर लगाये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

3– जिला युवा कल्याण एवं प्रा0 वि0 द0 अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में उपलब्ध बजट के संबंध में जिलाधिकारी को समय–समय पर अवगत कराते रहें, ताकि बजट के अभाव में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगायी जाय।

(वी0एम0 मधवाल)
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा

शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत प्रा0वि0द0 स्वयं सेवकों की ड्यूटी हेतु धनराशि का मांग–पत्र

| क्र०सं० | स्वयं सेवकों की संख्या | ड्यूटी अवधि | मानव दिवस | दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ड्यूटी भत्ता | यात्रा भत्ता | प्रकीर्ण व्यय | योग | ड्यूटी प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

योग

जिलाधिकारी .....

जनपद .....

नोट:– वास्तविक रूप से देय धनराशि का विवरण एवं सम्भावित ड्यूटी हेतु अनुमानित धनराशि का विवरण, उपर्युक्त रूप–पत्र में अलग–अलग दर्शाते हुए योग किया जाये तथा अनुमानित मांग ड्यूटी समाप्ति के पश्चात् वास्तविक के आधार पर समयानुसार की जाय।

2– यात्रा व्यय एवं प्रकीर्ण व्यय की धनराशि स्वयं सेवकों हेतु ही पूर्ण औचित्य सहित मांगी जाय।



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

जिलाधिकारी

जनपद————————

सर्वोच्च प्राथिमिकता

प्रेषक,

निदेशक युवा कल्याण एवं
प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलायुवा कल्याण एव
प्रादेशिक विकास दल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक ९७५८/तीन–१८/प्राविद/१९९१–९२ दिनांक: ०८ मार्च, १९९५

विषय:– जनपदों में विभागीय सम्पत्ति के सत्यापन एवं नीलामी के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या–४४५३/तीन–१८/प्राविद/१९९१–९२ दिनांक २६ अक्टूबर १९९१ तथा अनुस्मारक परिपत्र संख्या ९२०८/ तीन–१८/प्राविद/ १९९१–९२ दिनांक मार्च ७, १९९४ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निदेश दिये गये थे कि जनपद स्तर पर स्टोर में रक्खी शासकीय सम्पत्ति का सत्यापन कर लिया जाय और एक सूची तैयार की जाय जिसमें प्रयोज्य एवं निष्प्रयोज्य सामानों को अलग–अलग कालम में दर्शाते हुये सूचना इस मुख्यालय को भेजी जाय। अभी तक केवल २५ जनपदों से सूचनायें प्राप्त हुई हैं वे या तो निर्धारित प्रारूप पर नहीं है और जो है भी वे अपूर्ण एवं अधूरी है।

अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी निम्न प्रकार से गठित कर ली जाय:–

| | | |
|---|---|---|
| १– | मुख्य विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी | अध्यक्ष |
| २– | जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी | सदस्य |
| ३– | स्टोर कीपर (जो कर्मचारी स्टोर का कार्य देख रहा हो) | सदस्य |

यह कमेटी स्टोर सत्यापन के समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये सत्यापन रिपोर्ट तैयार करेगी:–



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

१– जिस वस्तु का क्रय.मूल्य एवं दिनांक बुक में दर्ज नहीं है कमेटी उस वस्तु का मूल्य निर्धारित करेगी।

२– मूल्य निर्धारण इस प्रकार से करेगी कि वर्तमान में उस वस्तु का बाजार मूल्य क्या है और वह वस्तु किस स्थिति में है?

३– वर्दी के आइटम को छोड़कर अन्य वस्तुओं का ह्रासित मूल्य क्रय मूल्य के २०% से अधिक होना चाहिये।

४– अयोग्य वर्दी से प्राप्त मूल्य को विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर दिया जायेगा।

५– स्टोर में रक्खे अयोग्य बर्तनों को तौलकर, वर्तमान बाजार भाव को दृष्टिगत रखते हुये क्रय मूल्य का निर्धारण किया जाय और उसका २० प्रतिशत ह्रासित मूल्य निर्धारित किया जाय।

६– स्टोर सत्यापन की सूचना संलग्न प्रारूप पर तैयार कर इस निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाय।

अत: उपर्युक्तानुसार वांछित सूचना प्रत्येक स्थिति में निदेशालय को २०/३/१९९५ तक अवश्य भेज दी जाय। स्टोर के भौतिक सत्यापन हेतु जिलायुवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्न–सूचना का प्रारूप

भवदीय,

(के० एस० धपोला)
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा।

प्रतिलिपि–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(के० एस० धपोला)
निदेशक एवं प्रशासकीय समादेष्टा।



PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



प्रारूप

(स्टोर सत्यापन की सूचना)

जनपद का नाम

| क्रम सं० | वस्तु का नाम | स्टाक–बुक पृष्ठ संख्या | वस्तुओं की संख्या | | | वस्तु का क्रय | | उपयोग की अवधि | ह्रासित मूल्य (वर्दी के आइटम को छोडकर) क्रय मूल्य का २० प्रतिशत) | अन्य विवरण यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | नई | सर्विसेबल | निष्प्रयोज्य | दिनांक | मूल्य | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ०१ | ०२ | ०३ | ०४ | ०५ | ०६ | ०७ | ०८ | ०९ | १० | ११ |

ह०/

स्टोर कीपर।

ह०/

जिला युवा कल्याण एवं
प्रा० वि०द० अधिकारी जनपद–

ह०/

मुख्य विकास अधिकारी
अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी पद नाम–